न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
पीठासीनअधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आरएएस
प्रकरण संख्या–डिकी 14 सन 2017
पंजीयन दिनांक 19.1.2017
राजकरण पिता बक्शीराम ग्रेवर निवासी–हालमुकाम 27 एस.एम.लोढा मार्केट एरोडम सर्किल कोटा चित्तौडगढ ।

–अपीलांट

विरूद्व

1.श्यामसुन्दर पिता राजमल सोनी निवासी–नयाबाजार रावतभाटा ।
2.राज्य जरिये जिला कलक्टर चित्तौडगढ ।
3.राज्य जरिये तहसीलदार रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्डअधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या 36/2011 निर्णय दिनांक 21.3.2016

उपस्थित–श्री नरेन्द्रकुमार नाहर–अधि.अपीलांट
श्री खूमराजकुमावत–अधि.रेस्पो–1
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज.अधि.

–0–

निर्णय दिनांक 29.1.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षैप में इस प्रकार हैकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–88 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 के अन्तर्गत ग्रम झालरबावडी पटवार मंडल बडोलिया तहसील रातवभाटा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 31/66 रकबा 0.22 हेक्टेयर के सबंध मे पेश किया जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.3.2016 को वादी का वाद स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

इस प्रकरण में अपीलांट पक्षकार नहीं था जिसके सबंध में धारा–96 का प्रार्थना–पत्रएवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करनेकी अनुमति प्रदान की जाती है ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तत हुई जिसके लिये परिसीमन अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायहित में उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणाधिकार ग्रहण की जातीहै।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस एवंलिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की कृषि भूमि के आराजी नम्बर 31/5 रकबा 1.08हैक्टेयर है अपीलार्थी ने प्रतिवादी के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रातवभटामें धारा–188 रा.का.अ. 1955 के तहत प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी की मौका स्थिति का आदेश पारि किया इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट ने वादी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 31/16 रकबा 0.22 हैक्टेयर का रेवेन्यु रिकार्ड मे तरमीम चाहा विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

के अनुसार नक्शे की तरमीम करने हेतु विवादित कृषि भूमिके सभी खातेदार को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होते हुये अपीलार्थी व अन्य पडौसियो को पक्षकार बनाये बगैर निर्णय पारित करवाया है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होने से व अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट की ओर से प्रार्थनार–पत्र अन्तर्गतधारा–96 जा.दि प्रस्तुत किया जो स्वीकार योग्य है व विचारण न्यायालय ने राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिससे अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने भी अपनी ओर सेलिखित बहस प्रस्तुत की व मौखिक बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी की आराजी नम्बर 31/16रकबा 0.22 हैक्टेयर एक बीघा भूमि है जिसके नये नम्बर 138 रकबा 0.22 हैक्टेयर नवीन भू–प्रबन्ध मे कायम किये गये जो रेस्पोडेन्ट वादी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजियात के सबंध में रेस्पोडेन्ट वादी ने साबिक नक्शा नवीन नक्शा प्रस्तुत किया इस आराजियात के सबंध में भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने नवीन नक्शा जो कामय किया जो साबिक नक्शे के अनुरूप नहीं होने से रेस्पोडेन्ट वादी ने मौके की स्थिति के अनुसार नवीन नक्शा दर्जकिये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया ।जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण कायमी तनकीयात में था फिरभी प्रकरण में तनकी कायम किये बगैर बिना साक्ष्य सबूत के रेस्पोडेन्ट वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रावतभाटाकी रिपोर्ट दिनांक 19.8.2009 के आधार पर रेस्पोडेन्ट वादी का कब्जा मानते हुये नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया है ।

हमने उभयपक्ष की अधिवक्ताओकी बहस सुनी लिखित बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीका अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय में पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत थी फिरभी विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट वादी का वाद पत्र डिक्रीकिया है जिसमें अपीलांट पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार था जिसको सुना जाना आवश्यक था फिर भी विचारण न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर वाद पत्र इन्द्राज दुरस्ती डिक्री किया है जो न्यायोचित नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या 36/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर समूचित निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2021 को खूले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)